

प्रेषक,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष/सचिव,  
शिवम एजुकेशन ट्रस्ट मस्तवानी (हैथलपुर बुझवा) तरवां सालगंज, आजमगढ़।  
संस्था का नाम - शिवम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नौरसिया तरवां, सालगंज, आजमगढ़।

पत्रांक- प्राविप/परिषद/2023/50/086

लखनऊ दिनांक- 18-5-2023

विषय-सत्र 2022-23 हेतु संस्थान को निर्गत अनापति प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया (पीसीआई) के पत्रांक 14-56/2022(Approval Process for 2022-2023 as)/11942-46, Online Application for 2021-2022(DS) Online Application for 2021-2022(AS) दिनांक- 03-07-2022, 14-56/2022(Approval Process for 2022-2023as)/12561-63 Online Application for 2022-2023(DS) Online Application for 2022-2023(AS) दिनांक 04-08-2022 एवं 14-56/2022-PCI(B)(Moratorium)/13220-22, 14-56/2022 (Approval Process for 2022-2023 as) (New Instt) Online Application for 2022-2023(DS), Online Application for 2022-23(AS) दिनांक 30 अगस्त 2022 को संदर्भित करने का कष्ट करें, जिसके अनुक्रम में सत्र 2022-23 हेतु डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित किये जाने हेतु आप द्वारा सहमति/अनापति निर्गत किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया।

शासनादेश संख्या 261/सोलह-3-2022-16-3099/9/2022टीसी-1 दिनांक 14-07-2022, 288/सोलह-3-2022-16-3099/9/2022टीसी-1 दिनांक 08 अगस्त 2022 एवं 317/सोलह-3-2022-16-3099/9/2022टीसी-1 दिनांक 05 सितम्बर 2022 द्वारा दिए गए निर्देशों एवं राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गयी संस्तुति के आधार पर संस्थान को सहमति/अनापति पत्र रु० 100/- का इस आशय का शपथपत्र प्राप्त करते हुए निर्गत की गयी थी की "आवेदक संस्थान द्वारा यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जाएगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु संस्थान स्वयं उत्तरदायी होगी।

मा० मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या 647/ACS/CM/23 दिनांक 18-04-2023 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में डी०कार्म० पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु निर्गत की गई एन०ओ०सी० की जाँच संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गयी जाँच आख्या के परीक्षणोपरांत जिलाधिकारी स्तर से आपके संस्थान को असंस्तुति (Not Recommended) प्रदान की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई जाँच आख्या एवं तत्क्रम में शासन के पत्र संख्या 313/16-3099/9/2022-Part-(2) दिनांक 17-05-2023 द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में आपके संस्थान को सत्र 2022-23 हेतु निर्गत अनापति प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त भी जाती है।

भवदीय,

(एफ० आर० खान)

सचिव